न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 67

पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 07 / 2024

1. अक्षय भवानी सिंह पुत्र भवानी सिंह, जाति मीना, हाल निवासी फ्लैट न0 4065, सेक्टर सी पॉकेट 04, वसंत कुंज, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली 110070

– – – प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, पता जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जिला जयपुर।
3. मदन लाल मीना पुत्र रामनाथ मीना, जाति मीना, निवासी ए–25, जे.डी.ए. स्टाफ कॉलोनी, जगतपुरा, जिला जयपुर।
4. देवन्द्र कुमार पुत्र कालूराम, जाति मीना, निवासी– ए–32 जयकिशन कॉलोनी, टोंक फाटक, जिला जयपुर।
5. हनुमंत सिंह मीना पुत्र हरीशचन्द्र मीना, जाति मीना, निवासी–04 क 10 जवाहर नगर, जिला जयपुर।
6. मूलचंद पुत्र लादू
7. रामदेव पुत्र भदया
8. लालाराम पुत्र भदया
9. कफली पुत्री कल्याण
10. जगदीश पुत्री कल्याण
11. प्रभाती पत्नी भैंरूराम
12. पांची पुत्र रामसहाय
13. मन्नी पुत्री रामसहाय
14. विमला पुत्री भैंरूराम
15. सीमा पुत्री कल्याण
16. कैलाश पुत्र प्रभात
17. जगदीश पुत्र प्रभात
18. मंगलचन्द पुत्र प्रभात
19. शंकरलाल पुत्र प्रभात
20. कानाराम पुत्र भोरिया
21. छोटूराम पुत्र भोरिया
22. ज्याना देवी पुत्री भोरिया
23. भैरूलाल पुत्र भोरिया
24. मंगली देवी पुत्री भोरिया

समस्त 06 लगायत 24, जाति मीना, निवासी ग्राम गुनावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – – अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :- 02.05.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गुनावता, पटवार हल्का लबाना, भू0अ0नि0 अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि ख0न0 625, 632/1922, 633/1923 व 634/1924 स्थित है, जो कि प्रार्थी की हक व अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि को इस प्रार्थना पत्र के आगे के चरणो में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जावेगा। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी का न्यायालय श्रीमान तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर के आदेश क्रमांक भू.अ./1441 दिनांक 17.03.2023 की अनुपालना में दिनांक 05.04.2023 को नियमानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही की जा चुकी है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर किसी प्रकार का वाद विवाद नही है। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है, जिससे भविष्य में राजस्व सीमाओ को लेकर कोई वाद–विवाद उत्पन्न नही हो। प्रार्थी के पडोसी खातेदारो के मध्य कोई वाद–विवाद नही है। पडोसी खातेदारो को पत्थरगढी प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार संयोजित किया गया है, जिनके मध्य कोई विवाद नही है। प्रार्थी को हक व अधिकार हासिल है कि अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी माननीय न्यायालय से करवाये। प्रार्थी नियमानुसार राजकोष में पत्थरगढी बाबत शुल्क जमा करवाने हेतु तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम गुनावता, पटवार हल्का लबाना, भू.अ.नि.क्षे. अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि ख0न0 625, 632/1922, 633/1923 व 634/1924 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी पूर्ण की गयी। प्रस्तुत ट्रेक रिपोर्ट अनुसार तलवी पूर्ण पायी गयी। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 का जवाब बंद किया गया। तामिल बाद भी उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 3, 6 लगायत 24 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादी संख्या 02 जेडीए ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 02 में वर्णित सीमाज्ञान के तथ्य के संबंध में अप्रार्थी/उत्तरदाता को राजस्व नियमों के मुताबिक विधि सम्मत ना तो सूचित किया गया है और ना ही उसकी उपस्थिति में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये बिना किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा उक्त मद में वर्णित कार्यवाही के आधार पर चाहा गया अनुतोष कानूनी रूप से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः अप्रार्थी उत्तरदाता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को बिना सूचित किये उसकी बिना उपस्थिति में उसको बिना सुनवाई का उचित अवसर दिये प्रार्थी द्वारा

BSW
उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष विधिक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश के अभाव में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार, तहसील आमेर ने पत्र क्रमांक भू.अ./1848 दिनांक 18.04.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई जिसका सार इस प्रकार है:– हाल राजस्व रिकार्डनुसार ग्राम गुनावता, प0ह0 लवाना के आराजी खसरा नम्बर 625 रकबा 1.59 किस्म बजड, 632/1922 रकबा 0.10 किस्म बाराजी 3, 633/1923 रकबा 0.01 किस्म बारानी 3, 634/1924 रकबा 0.08 किस्म बारानी 3, कुल किता 04 कुल रकबा 1.78 है0 की खातेदारी अक्षय भवानी सिंह पुत्र भवानी सिंह, जाति मीणा, सा0 रविन्द्र नगर फ्लैटस, नई दिल्ली खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त प्रश्नगत भूमि के पूर्व दिशा में ख0न0 661, 622, 624, 531, 528, 529, 530 स्थित है, जिनकी खातेदारी क्रमशः खसरा 661 रकबा 0.54 की खातेदारी कैलाश, जगदीश, मंगलचंद, शंकरलाल पुत्र प्रभात जाति मीणा, सा0देह दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 622 रकबा 0.14 की खातेदारी कफली पुत्री कल्याण हि0 1/12, जगदीश पुत्र कल्याण हि0 1/12, प्रभाती पत्नि भैरूराम हि0 1/8, पांची पुत्री रामसहाय हि0 1/4, मन्नी पुत्री रामसहाय हि0 1/4, विमला पुत्री भैरूराम हि0 1/8, सीमा पुत्री कल्याण हि0 1/12 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा ख0न0 529 रकबा 0.06, 530 रकबा 0.06, 531 रकबा 0.06, 624 रकबा 0.43 की खातेदारी मूलचंद पुत्र लादू हि0 1/4 रामदेव पुत्र भदया हि0 703/1875, लालाराम पुत्र भदया 2813/7500, जाति मीणा सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा संख्या 528 रकबा 0.01 की खातेदारी लालचंद पुत्र भोरया, जाति मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा उत्तर दिशा में खसरा संख्या 511 रकबा 1.67 की खातेदारी मदनलाल मीणा पुत्र रामनाथ, जाति मीणा, ए–25, जेडीए स्टॉफ कॉलोनी, जगतपुरा जयपुर राहिन पंजाब एंड सिंध बैंक, शाखा कुकस के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 632 रकबा 0.26, 633 रकबा 0.25 है0 कि खातेदारी कानाराम, छोटूराम, ज्यानादेवी, भैरूलाल, मंगली देवी पुत्र पुत्रीया भोरिया हि.व. जाति मीणा, सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा दक्षिण दिशा में ख0न0 660/0.09 तथा 659 रकबा 0.55 है0 की खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के दर्ज रिकार्ड है। प्रश्नगत खसरान पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड माफी मंदिर, अब्दुल रहमान तथा किसी न्यायालय स्थगन से प्रभावित नही है। आवेदित भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया गया है, जिसके आधार पर पत्थरगढी की जावेगी।

::– आदेश –::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, तहसील आमेर को आदेशित किया जाता है कि :–

Bsw–
उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

01. प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 625, 632/1922, 633/1923 व 634/1924 वाके राजस्व ग्राम गुनावता, पटवार हल्का लबाना, भू. अ.नि.क्षे. अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये

02. तहसीलदार, तहसीलद आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रकिया अपनाते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें।

03. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक 13(28) राज ग्रुप-1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के आदेशानुसार खड़ी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।

04. तहसीलदार, आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी तरह का कब्जा हस्तांतरण नही करें।

05. यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो इस आदेश के माध्यम से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। कब्जा संबंधी मामलो में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में पृथक से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

आज दिनांक 02.05.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bsw

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर